न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री जयेश पारीक, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 120 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 12.03.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249701593693078 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 23890 दिनांक 01–10–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना/जवाब अपीलार्थी को इस कार्यालय के न्याय अनुभाग के पत्र क्रमांक 22481 दिनांक 08.04.2025 से प्रेषित की गई। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01–10–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)